

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the '**Committee on Publication Ethics**'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

जोधपुर में रियासत कालीन शिक्षा एवं छात्र संगठनों की भूमिका

गजेन्द्र राठौड़

सहायक आचार्य, इतिहास, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * गजेन्द्र राठौड़

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22725128>

सारांश

शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जोधपुर रियासतकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्र संगठनों की भूमिका, उनके द्वारा उठाए गए शैक्षिक एवं छात्र हित संबंधी मुद्दों तथा उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता-पूर्व काल में जोधपुर तथा व्यापक राजपूताना क्षेत्र में विद्यार्थी संगठनों ने शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं, योग्य एवं पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा के माध्यम जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया। मारवाड़ विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी संघ, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन तथा राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस जैसे संगठनों ने विभिन्न प्रस्तावों, बैठकों एवं ज्ञापनों के माध्यम से तत्कालीन शासन का ध्यान विद्यार्थियों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। जोधपुर रियासत की उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री से यह भी ज्ञात होता है कि विद्यार्थी संगठन केवल शैक्षिक समस्याओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें संगठनात्मक चेतना, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रवाद एवं सामाजिक परिवर्तन की भावना भी विकसित हो रही थी। विशेष रूप से राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा उच्च शिक्षा में हिंदुस्तानी माध्यम, ग्रामीण शिक्षा के विस्तार, समान पाठ्यक्रम एवं मानकों तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं। इन मुद्दों में से अनेक आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समकालीन विमर्श में प्रासंगिक हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा, ग्रामीण-शहरी शैक्षिक असमानता, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे विषय वर्तमान शिक्षा नीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः यह अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि जोधपुर रियासतकालीन छात्र संगठनों ने न केवल तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि विद्यार्थी चेतना, नेतृत्व विकास, राष्ट्रवादी भावना और सामाजिक परिवर्तन की आधारभूमि तैयार करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 01-03-2026
- Accepted: 24-06-2026
- Published: 12-07-2026
- MRR:4(SP1); 2026: 245-249
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

राठौड़ ग. जोधपुर में रियासत कालीन शिक्षा एवं छात्र संगठनों की भूमिका.
Indian J Mod Res Rev.
2026;4(SP1):245-249.

Access this Article Online



www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: जोधपुर रियासत, आधुनिक शिक्षा, छात्र संगठन, राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस।

1. प्रस्तावना

शिक्षा न केवल मनुष्य के सर्वांगिक विकास का आधार है अपितु प्रगति व उन्नति का माध्यम भी है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हो अथवा रियासत कालीन शिक्षा व्यवस्था शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याएं सामने आती रही है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु शासन तथा शैक्षणिक संगठनों के प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास भी होता है परंतु छात्र संगठनों की भूमिका भी शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निवारण व छात्र हित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सदा ही महत्वपूर्ण रही है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मात्र शिक्षा ग्रहण करने के स्थान नहीं होते, अपितु यह वो केंद्र हैं जहाँ युवा चेतना आकार ग्रहण करती है। विद्यार्थी संगठन इन संस्थानों में उनके हितों एवं अधिकारों के माध्यम बनते हैं। यह संगठन हजारों विद्यार्थियों की आवाज बनते हैं। किसी लेखक ने लिखा भी है की

“जहाँ न पहुंचे डर, वहाँ पहुंचे संघर्ष।”

यह विद्यार्थी संगठन संघर्ष का ही दूसरा नाम होते हैं।

शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठन की भूमिका**1. छात्र हित में आवाज़ उठाने का मंच**

छात्र संगठन अध्यनरत विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर परिणाम तक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेकर स्वच्छ-स्वस्थ परिवेश तक समस्त मुद्दे यह छात्र संगठन उठाते हैं।

2 संगठन की शक्ति

“एकता में बल है, छात्र ही कल है

जब छात्र संगठित होकर उचित माध्यमों द्वारा अपनी बात महाविद्यालय या विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा किसी प्रांत या रियासत की सरकार के समक्ष रखते हैं तो वहां के विभाग व सरकार को इस ओर आवश्यक रूप से ध्यान देना होता है और इसका कारण अज्ञात कवि द्वारा ऊपर लिखी कविता के अंश में स्पष्ट हो रहा है।

3 नेतृत्व गुणों के विकास की पाठशाला

“युवा और वायु अपना रास्ता खुद बनाते हैं”

इन संगठनों के ज़रिए छात्र नेतृत्व कौशल की बारीकियां सिखाते हैं। सही मुद्दों को चुनना, सही प्रकार से उस पर चर्चा करना, जनमानस को उस मुद्दे से अवगत करा उनसे सहयोग प्राप्त करना, सभी छात्रों को संगठित कर एक लक्ष्य के प्रति अग्रसर करना। यह सब नेतृत्व गुण के विभिन्न पक्ष हैं। जिससे उनमें आत्मविश्वास आता है और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

“जो तूफानों से टकराना जानते हैं,
वही समाज को दिशा दिखाना जानते हैं।”

4 संगठन और सामाजिक बदलाव

युवा किसी भी देश की संस्कृति के वाहक होते हैं। इसीलिए कहा भी गया है यदि किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो उनके युवाओं को पथभ्रष्ट कर देना चाहिए। युवा ही सामाजिक बदलाव के उत्प्रेरक एवं माध्यम दोनों ही हैं। यही कारण है कि छात्र संगठनों का सामाजिक परिवर्तन से गहरा नाता है। सामाजिक कुरीति हो अथवा स्वतंत्रता का संघर्ष छात्र संगठन सदैव ही सकारात्मक भूमिका में नजर आए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हो या पहले प्रांत हो या रियासत शिक्षा नीति में आए विभिन्न सुधारों में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में कई देशों में हुई क्रांति के वाहक भी यह छात्र ही रहे हैं।

जोधपुर जोधपुर रियासत कालीन शिक्षा व छात्र संगठन

जोधपुर रियासत में जैसे-जैसे शिक्षा का विकास हो रहा था तथा दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में लोक परिषद तथा प्रजामंडल जैसे संगठन सक्रिय हो चुके थे। उक्त कारणों से 1940 के पश्चात विद्यार्थियों में शिक्षा, अपने अधिकार तथा स्वतंत्रता को लेकर नए विचार पनप रहे थे। छात्र संगठन स्थापित हुए तथा वे बैठक आयोजित कर विभिन्न प्रस्ताव जोधपुर सरकार को प्रेषित करते थे, जिसके कारण मारवाड़ रियासत की शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन किए गए।

जोधपुर रियासत की सीआईडी रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17 जुलाई 1945 को विद्यार्थी संघ की मीटिंग म्युनिसिपल हाल में 9:30 से लेकर 11:30 प्रातः के मध्य हुई। अध्यक्षता शिवराज जोशी उर्फ सुमनेश की अध्यक्षता में हुई। 75 के करीब विद्यार्थी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए जिनमें प्रमुख निम्नलिखित लोग थे-

जय नारायण बेस
गणपत सिंह वकील
वलदेवरकर हंस
शिवराज
सोपाल
मनमोहन
अमरचंद सिंघल
मिश्रीलाल
देवनारायण बेस
हुकुम राज मेहता
कल्याण माल
रिकब राज
प्रयागराज
शिवपाल सिंह
विजयी किशन कल्ला
जगदीश चंद्र लालवानी
नंद मंगल
रघुवीर सिंह
चंपालाल
अमरथराज
नंदकिशोर माथुर
रुद्रदेव
अचलेश्वर प्रसाद शर्मा
मोडाराम

भंवरलाल पीपरवाला

पूर्वोक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज समेत कई विद्यार्थियों की अगुवाई में सभी उपस्थित लोगों ने कविता पाठ कर मारवाड़ के शैक्षिक स्तर को सुधारने व आजादी की बात को दोहराया।

हुकुम राज द्वारा दिस इस सिवानानिबंध हिंदी में वाचन किया गया। रिकबराज ने अपने भाषण में कहा कि जोधपुर में शिक्षा स्तर 1911 की तुलना में सुधरा है पर अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। परगनों में हाई स्कूल नहीं है तथा जोधपुर में एक ही कॉलेज है। यहां भीसीमित सीटों के कारण गरीब शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

कल्याण मल ने बैठक का प्रथम प्रस्ताव रखा की जोधपुर में एक कॉलेज और खोली जाए। सरकार से निवेदन किया की प्रथम वर्ष में 180 सीट और बढ़ाने का प्रस्ताव को स्वीकार करें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

चंपालाल ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि सामुदायिक स्कूलों में व्यवस्था में कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन विद्यालयों के अध्यापन कार्य के प्रति जोधपुर रियासत को गंभीरता विचार व कार्य करना चाहिए। अध्यापकों की भी इन विद्यालयों में भारी कमी है। शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था करें या इन विद्यालयों को सीधा अपने नियंत्रण में ले। यह प्रस्ताव भी सर्व सहमति से पास हुआ।

शिवराज ने अध्यक्षीय भाषण में छात्र संगठन के कार्य को राजनीतिक कार्यों से अलग बताया उन्होंने लोक परिषद व छात्र संगठन के अलग-अलग उद्देश्य होने की बात कही। कुछ छात्रों का मानना था कि जब भी छात्र संगठन की बैठक आहूत की जाए राजनीतिक लोग उसमें हिस्सा ना लें। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बैठक में आने के कारण नाराज कुछ छात्र मीटिंग बीच में छोड़कर भी चले गए थे।

मात्र जोधपुर में ही नहीं पूरे राजपूताना के विद्यार्थी परस्पर एक हो रहे थे। विद्यार्थी हितों को लेकर जागरुकता बढ़ रही थी। राजपूताना के विद्यार्थी अन्य रियासतों एवं ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले तथा पढ़ चुके विद्यार्थियों से लगातार संपर्क में थे। विद्यार्थी संगठन की शक्ति को समझ चुके थे। अतः राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस का गठन हुआ। राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस का 1946 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें प्रस्ताव संख्या 10, 11 और 14 की प्रति शिक्षा विभाग जोधपुर तथा जोधपुर सरकार के पास भेज कर छात्र हित में ध्यान आकर्षण का प्रयास किया गया। यह प्रस्ताव निम्न प्रकार से थे।

प्रस्ताव संख्या 10

हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से जीवन के सब क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते अतः विद्यार्थियों की इस कठिनाई को महसूस करते हुए राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन मांग करता है कि उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदुस्तानी रखा जाए। कुछ भारतीय विश्वविद्यालय ने माध्यम के लिए हिंदुस्तानी की जो घोषणा की है उसका यह अधिवेशन स्वागत करता हुआ प्रसन्नता प्रकट करता है।

प्रस्ताव संख्या 11

राजपूताना की रियासतों कि ग्रामीण जनता में शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर है और यदि कहीं है भी तो वह संतोषजनक नहीं है। अतः राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस का अधिवेशन सुव्यवस्थित और आदर्श शिक्षण संस्थानों तथा एक ही मापदंड व पाठ्यक्रम को उपयुक्त समझता हुआ, अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों की मांग करता है। जिससे ग्रामीण विद्यार्थी समाज पर होने वाले और अमानवीय एवं अनुपयुक्त अत्याचार सदा के लिए समाप्त हो जाए साथ ही अधिवेशन यह भी मांग करता है की निशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए।

प्रस्ताव संख्या 14

राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस का यह सालाना अधिवेशन सन 1942 के अगस्त आंदोलन में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हार्दिक बधाई प्रेषित करता है। अगस्त आंदोलन के सिलसिले में कॉलेज व स्कूलों से निकाले गए विद्यार्थियों के प्रति यह वार्षिक अधिवेशन अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है तथा संबंधित विश्वविद्यालय व शिक्षा अधिकारियों से प्रार्थना करता है कि विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, वह तुरंत बिना किसी शर्त के उठा लिया जाए। आंदोलन के बाद अब तक जो उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उनकी पढ़ाई में काफी नुकसान हो चुका है। इन सभी की क्षतिपूर्ति करने के लिए यह अधिवेशन संबंधित अधिकारियों से प्रार्थना करता है कि ऐसे विद्यार्थियों को उस परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जाए जिससे वह वंचित रह गया था।

शिक्षा निदेशक जोधपुर राज्य द्वारा लॉ मेंबर जोधपुर सरकार को दिनांक 23 दिसंबर 1946 में जारी पत्र में उक्त तीनों प्रस्तावों के जवाब लिख निम्न प्रकार भिजवाए गए -

प्रथम प्रस्ताव में रखा विषय यानी हिंदी माध्यम में अध्यापन एवं परीक्षा का मुद्दा विश्वविद्यालय प्रशासन एवं हाई स्कूल परीक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग को इस बाबत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व अध्यापक हेतु पारित प्रस्ताव के संदर्भ में लिखा कि हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं परंतु इन क्षेत्रों में अध्यापकों को खोजने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

तृतीय प्रस्ताव से अगस्त आंदोलन 1942 से जुड़ा है। विद्यार्थियों के प्रतिबंध से संबंधित मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही जोधपुर रियासत में ऐसे किसी प्रकरण ना होने की बात कही।

इन सब के अतिरिक्त मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन जोधपुर भी कार्यशील थी। इस यूनियन में सभी विद्यार्थी मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। इस यूनियन द्वारा जोधपुर रियासत सरकार को प्रेषित एक प्रस्ताव अति महत्वपूर्ण था। ए पी काक्स जब सेवानिवृत्त होने वाले थे, उस समय मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन द्वारा शिक्षा निदेशक ए पी काक्स के जोधपुर रियासत में आधुनिक शिक्षा के लिए दिए गए अप्रतिम योगदान के लिए याद किया। पुरी जोधपुर रियासत विशेषता मुस्लिम समाज में शिक्षा के विस्तार हेतु शिक्षा निदेशक जी द्वारा किए गए कार्य सदैव सराहनीय रहने की बात कही। ए पी काक्स के सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को शिक्षा निदेशक पद पर नियुक्त करने के स्थान पर श्रीमान श्रीवास्तव को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। उक्त प्रस्ताव के अनुसार श्रीवास्तव योग्य तथा गैर सांप्रदायिक चरित्र के

व्यक्ति हैं। कई वर्षों से शिक्षा विभाग जोधपुर में कार्यरत है अतः स्थानीय रीति नीति व समस्याओं से भली प्रकार अवगत है। मारवाड़ विद्यार्थी संघ द्वारा शिक्षा मंत्री जोधपुर सरकार को प्रताप हाई स्कूल की स्थिति के बारे में पत्र लिखकर स्थितियों को सुधारने हेतु निवेदन किया था। संगठन द्वारा पत्र में वर्णित किया गया कि प्रताप हाई स्कूल की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ रही थी। हेड मास्टर का विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रति घटिया स्तर का व्यवहार था। वह विद्यार्थियों के समक्ष ही अध्यापकों को फटकारते हैं। यह उनकी आदत है। विद्यार्थियों को छोटे-छोटे कर्म पर भी शारीरिक दंड दिया जाता था। अध्यापकों का वेतन अत्यधिक कम था इसलिए आते जाते रहते थे। कई अध्यापक त्यागपत्र दे चुके थे और कई त्यागपत्र देने के धमकियां दे रहे थे। यह माहौल तीन माह से चल रहा था। अध्यापकों के लिए स्कूल, धर्मशाला की तरह हो गई थी। वे आते कुछ देर रुकते और चले जाते थे। अध्यापकों की भारी कमी थी। अतः जो अध्यापक मौजूद थे, उनसे अतिरिक्त कार्य करवाए जाते थे। जो विषय उन्होंने खुद नहीं पढ़े, उन्हें पढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। यह कैसे संभव था। उदाहरण के लिए 1940 में मैट्रिक पास एक अध्यापक थे, जिनके गणित विषय कभी नहीं रहा उन्हें कक्षा 8 की गणित पढ़ाने के लिए दी गई। सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी अध्यापक व विद्यार्थियों दोनों की रुचि नहीं थी। बच्चों को वह खेल खेलने हेतु दबाव डाला जाता था जो उन्हें पसंद नहीं थे। यहां लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा वाद विवाद मंच आदि की व्यवस्था नहीं थी। अतः विद्यार्थी संघ द्वारा राज्य सरकार को बीच बचाव करने की बात कही ताकि छात्रों को नुकसान ना हो तथा निम्नलिखित मांगे रखी-

1. शारीरिक दंड बंद हो।
2. हेड मास्टर के सही व्यवहार करने की बात कही।
3. अध्यापकों को अच्छा वेतन मिले ताकि वह एक स्थान पर रह कर अपनी सेवा दे पाए।
4. प्रयोगशाला, पुस्तकालय और रीडिंग रूम की व्यवस्था की जाए।
5. सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत निरंतर रूप से वाद-विवाद हेतु स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
6. स्कूल के छात्रों के लिए पृथक एक यूनिन बनाने की स्वीकृति दी जाए।

विद्यार्थियों द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययन व परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदुस्तानी भाषा को बनाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चिकित्सा और तकनीकी महाविद्यालय सहित उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रावधान मुख्य रूप से किया गया है। इस प्रकार यह दृष्टिगोचर होता है कि राजपूताना के छात्र संगठन अत्यधिक जागरूक थे इसीलिए वर्तमान विमर्श के इस मुद्दे को उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ही आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक शिक्षा का यह अर्थ नहीं है की मात्र अंग्रेजी भाषा संबंध में ही अध्ययन- अध्यापन कराया जाए। उच्च शिक्षा में अध्ययन का माध्यम क्षेत्रीय भाषा बनाने का मुद्दा एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में अनेक तर्क हैं।

समर्थन के तर्क:

A. अभिव्यक्ति में सहजता:

विद्यार्थी स्वयं की मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में बेहतर समझ एवं अभिव्यक्ति विकसित कर सकता है।

B शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:

भारतवर्ष के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में ही उपलब्ध है तथा अंग्रेजी स्कूलों का अभाव है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा सुलभ होने से होने सहजता रहती है।

3. सांस्कृतिक संरक्षण:

भाषा किसी संस्कृति का दर्पण होता है। क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सामान्य वार्तालाप के साथ शिक्षा में माध्यम के रूप में जब किया जाता है तो सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद प्राप्त है।

मुख्य चुनौतियाँ:

1 गुणवत्ता और संसाधनों की कमी:

उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों तथा अध्ययन सामग्री, शोध सामग्री, तकनीकी शब्दावली और शिक्षकों की भारी कमी क्षेत्रीय भाषाओं उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में बाधक है।

2 वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बाधा:

अंग्रेजी भाषा में दक्षता के अभाव से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले संभावित मौके काम हो सकते हैं।

3. तकनीकी विषयों का अनुवाद कठिन:

इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की जटिल शब्दावली को क्षेत्रीय भाषाओं में सही प्रकार से अनुवाद करना कठिन होता है भारत सरकार के "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)" के तहत उच्च शिक्षा में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने को बढ़ावा दिया गया है।

कुछ प्रमुख उदाहरण:

1. आईआईटी मद्रास (IIT Madras):

बी.टेक पाठ्यक्रमों को तमिल में उपलब्ध कराया गया है।

2 आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU):

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी में सामग्री तैयार की जा रही है।

3. एम्स भोपाल:

एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी में चिकित्सा पुस्तकों का अनुवाद किया गया है।

4. आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे:

विभिन्न तकनीकी विषयों को हिंदी, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य चल रहा है।

5. एनआईटी (NITs) और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय:

कुछ एनआईटी और राज्य विश्वविद्यालयों ने स्थानीय भाषाओं (जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम) में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं।

राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 11 में विद्यार्थी समाज शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग विद्यार्थियों में संगठनात्मक एकता को दर्शाता है। विद्यार्थी समाज के रूप में विद्यार्थियों का एक लक्ष्य, उनके मार्ग में आने वाली एक जैसी समस्याएं और उनके निराकरण के लिए संगठनात्मक प्रयास के प्रति छात्रों की अभिरुचि स्पष्ट होती है। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स द्वारा मजदूर समाज को पूरे विश्व भर में एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इस प्रकार विद्यार्थी समाज शब्द साम्यवाद से प्रेरित प्रतीत होता है।

प्रस्ताव संख्या 11 में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति चिंता प्रदर्शित की गई है। यह मुद्दा 1946 में विद्यार्थी संगठनों द्वारा उठाया गया जो कि आज भी प्रासंगिक है। राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव पारित करने के 80 वर्ष पश्चात भी राजस्थान में शहर एवं गांव में शिक्षा संबंधी सुविधा तथा गुणवत्ता का पर्याप्त अंतर दिखाई देता है तथा राजस्थान में नगरीकरण का भी मूल कारण है क्योंकि कई परिवार लगातार अपने संतानों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की तरफ आकर बस रहे हैं।

मारवाड़ विद्यार्थी संघ तथा राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस की बैठकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। विद्यार्थी स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना करते थे तथा इस हेतु आवश्यक योगदान के लिए भी तत्पर थे।

राजपूताना विद्यार्थी कांग्रेस के अधिवेशन में निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। इस बात से स्पष्ट है कि राजपूताना के विद्यार्थी संगठन दूरदर्शी दृष्टिकोण को धारण करते हैं। पूरे विश्व भर में निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देश के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए योजना बन रही है तथा कई देशों में यह व्यवस्था लागू भी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो संपूर्ण भारत में लागू है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को वैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया है। उक्त अधिनियम के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार स्वीकारा गया है तथा अभिभावकों द्वारा अपने संतानों को पढ़ाना मूल दायित्व भी माना गया है, जो 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में बने इन छात्र संगठनों द्वारा एक पाठ्यक्रम एक मापदंड की बात रखी है जो वास्तव में सर्वकालिक प्रासंगिक तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

जोधपुर जोधपुर में रियासत कालीन शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन तथा छात्र संगठनों द्वारा शिक्षा व्यवस्था व छात्र हित द्वारा किए गए प्रयासों से स्पष्ट है कि न केवल तत्कालीन परिस्थितियों में छात्र संगठनों का महत्व रहा अपितु रियासत काल में इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी प्रासंगिक है। यह संगठन न केवल शिक्षा से टुड़े मुद्दों प्रमुख करते राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसाद में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है

संदर्भ

1. महकमा खास, जोधपुर रियासत. शिक्षा फाइल सीरीज 43, फाइल संख्या C8/1, वॉल्यूम I, बस्ता संख्या 325, पृष्ठ 351-352. दैनिक CID राजनीतिक शाखा की रिपोर्ट की प्रति, दिनांक 18 जुलाई 1945. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर.
2. महकमा खास, जोधपुर रियासत. शिक्षा फाइल सीरीज 5, फाइल संख्या 3/19, वॉल्यूम III, बस्ता संख्या 322, बंडल संख्या 103, पृष्ठ 1-3. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर.
3. शिक्षा निदेशक, जोधपुर रियासत. लॉ मेंबर, स्टेट काउंसिल, जोधपुर सरकार को पत्र, दिनांक 23 दिसंबर 1946. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर.
4. महकमा खास, जोधपुर रियासत. शिक्षा फाइल सीरीज 5, फाइल संख्या 3/19, वॉल्यूम III, बस्ता संख्या 322, बंडल संख्या 145, पृष्ठ 1-2. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर.
5. सचिव, मारवाड़ विद्यार्थी संघ. शिक्षा मंत्री, जोधपुर सरकार को पत्र, दिनांक 18 दिसंबर 1946. महकमा खास, जोधपुर रियासत, शिक्षा फाइल सीरीज 5, फाइल संख्या 3/19, वॉल्यूम III, बस्ता संख्या 322, बंडल संख्या 148, पृष्ठ 1-3. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर.
6. मेहर एफ. जोधपुर में युग-युगीन शिक्षा: एक अध्ययन. पृष्ठ 173.
7. शाह पी.आर. मारवाड़ ड्यूरींग ब्रिटिश पैरामाउटेन्सी. 1982. पृष्ठ 187.
8. भारतीय बी.एल. प्रताप शैक्षणिक पत्रिका. 2005-06. पृष्ठ 1.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.